न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र भुरटिया

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
जगराम पुत्र नवलाराम जाति—जाट, निवासी— नया भुरटिया तहसील व जिला बाडमेर।		1. रिमरथाराम पुत्र नानगाराम 2. रूपाराम पुत्र अलसाराम 3. पोकरराम पुत्र हडुमानराम 4. बाबूराम पुत्र पूनमाराम 5. कुम्भाराम पुत्र देवाराम 6. नंदराम पुत्र देवाराम के कायम मुकाम—6/1. ठाकराराम पुत्र नंदराम जाति—जाट, निवासी—नया भुरटिया तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या—162/2020 दिनांक—11.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नया भुरटिया, पटवार हलका भुरटिया, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 933/35 रकबा 40.17 बीघा बा.दो., खसरा नम्बर 935/35 रकबा 07.15 बीघा बा.दो., व खसरा नम्बर 981/92 रकबा 41.02 बीघा बा.दो. कुल रकबा 89.14 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6575-6579 दिनांक— 11/12/2021

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः—

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भुरटिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जगराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी नया भुरटिया, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सिमरथाराम पुत्र नानगाराम वगैराह जाति जाट निवासी—नया भुरटिया, तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर